बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ।

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

1	अपने संगठन की विशिष्ठयों , कृत्य और कर्तव्य,	प्रभाग के नियनत्रणाधीन आरक्षित वन क्षेत्र क्षेत्रफल 34409–50 हेक्टेयर की सुरक्षा, वन क्षेत्रों को वनावरण से आच्छादित करने हेतु कार्य योजना में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्य करना , वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वियन उत्तर प्रदेश ईमारती लकडी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, उत्तर प्रदेश आरा मिल स्थापना नियमावली एवं वृक्ष संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना एवं तत्संबंधी सूचनायें समय–समय पर मासिक एवं त्रैमासिक रूप से प्रेषित किया जाना प्रमुख है ।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तथा राज्य सरकार की नीतियों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुये शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं। उप वन संरक्षक, अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उप प्रभागीय वनाधिकारी राज्य वन सेवा के अधिकारी हैं तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी हैं तथा अन्य सभी कर्मचारी राजकीय सेवक हैं ।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	प्रभाग में 1 उप वन संरक्षक, 2उप प्रभागीय वनाधिकारी, 6 क्षेत्रीय वन अधिकारी, 6 उप राजिक, 37 वन दरोगा, 41 वन रक्षक,10 लिपिक वर्ग के कर्मचारी,6 चालक, 34 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । प्रभाग का मुख्यालय नजीबाबाद में किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	उप वन संरक्षक नियनत्रण अधिकारी हैं जिनके नियन्त्रण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्यो का सम्पादन किया जाता है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने नियन्त्रक अधिकारी के निर्देशन एवं नेतृत्व में शासन की नीतियों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जाता है एवं तत्संबंधी अभिलेखों का रख–रखाव किया जाता है ।

6.	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं	शासन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्य योजना में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने दायित्वों का अनुपालन किया जाता है एवं तत्संबंधी अभिलेख संधारित करते हुये सुरक्षित रखे जाते हैं ।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है	प्रभाग से संबंधित जिला योजनाओं का अनुमोदन प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समिति द्वारा किया जाता है अन्य योजनायें राज्य योजनाओं की स्वीकृति अपर प्रमुख व संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से दी जाती है ।
8.	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं	जिला योजनाओं की बैठक में प्रभाग के कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करते हुये शासन की मंशा के अनुरूप जन प्रतिनिधियों की राय/ सुझाव के अनुसार योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है तथा जिला योजना समिति में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश जिला योजना में होने के उपरान्त तद्नुसार ही कार्य सुनिश्चित किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों एवं नीतियों का शत– प्रतिशत अनुपालन करते हैं ।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो ,	प्रभाग के कार्य कलापों की प्रगति एवं मासिक रिपोर्ट प्रति माह वन संरक्षक मुरादाबाद को निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित की जाती है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशियठयॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	प्रभाग को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं भारत सरकार से उपलब्ध कराया जाता है जिसका व्ययगत मासिक लेखा प्रत्येक माह वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–7 (वन लेखा नियमावली) के अनुसार तैयार कर महालेखाकार उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भवन अलीगंज लखनऊ को मय प्रमाणकों सहित प्रेषित किया जाता है जिसकी एक प्रति वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उपलब्ध कराई जाती है ।

12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्यौरे सम्मिलित हैं,	प्राप्त बजट का उपयोग वानिकी कार्यो, वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, नर्सरियों का विकास, कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण अनुरक्षण, आदि में किया जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयॉ ,	प्रभाग द्वारा निजी काश्तकारों को उनके खेतों में स्थित पेडों के पातन परमिट, निजी काश्त में खडे छूट प्रजाति के पेडों के प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु अभिवहन रवन्ना अभिवहन शुल्क प्राप्त करके जारी किये जाते हैं।
14.	किसी इलेक्ट्रानिंग रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो,	प्रभाग की गतिविधियों एवं किसी विशेष घटना की सूचना उप वन संरक्षक द्वारा स्वयं प्रिन्ट मीडिया को सार्वजनिक सूचना हेतु उपलब्ध कराई जाती है तथा इस प्रकार की सूचनायें प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जाती हैं ।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,	आम व्यक्तियों द्वारा चाही गई सूचनायें उन्हें जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाती है ।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयॉ,	प्रभाग स्तर पर जन सूचना अधिकारी श्री आर0पी0 यादव उप प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद हैं तथा रेंज स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी– श्री पी0एस0 मथुरिया, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ, श्री बी0के0 सिहं क्षेत्रीय वन अधिकारी साहनपुर, श्री डी0के0 गोयल क्षेत्रीय वन अधिकारी कौडिया , श्री उदयवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी बढापुर एवं श्री बी0बी0एल0 शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी साहूवाला नामित हैं ।

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ।

शासनादेश संख्या– 556 / 43–2– 2008–15 / 02(3) / 2007 टी0सी0
दिनॉक 6–6–2008 का संलग्नक

कार्यालय का नाम– उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

क्र0सं0	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन / अधीनस्थ कार्यालय / सार्वजनिक निगम / उपक्रम / परिषद / बोर्ड / संस्था का नाम	अधिनियम की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत तैयार कर बेवसाईट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
	उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद	16	0	0

उप वन संरक्षक,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ।